

[Prof. Narain Chand Parashar]

been left out. This is especially the case in Nadaun and Sujampur Blocks of Hamirpur District, Dhundla Block in Una District and Dehra Block in Kangra District, where the process of rural electrification has come to a halt.

This has resulted in frustration and extreme inconvenience to the left villages including many Harijan Basties which were expecting the electrification in a short time. It is, therefore, necessary to expedite the sanction of new schemes for a hundred per cent coverage of such Blocks where the R.E.C. Schemes have since been closed or are about to be closed. This can only be done if the Rural Electrification Corporation accords top-most priority to the clearance of these Schemes and also for arranging liberal financial assistance to the State Electricity Board of Himachal Pradesh for this purpose.

I, therefore, sincerely request the Government of India, particularly the Ministry of Energy and Rural Electrification Corporation to act immediately in this direction so that the process of Rural Electrification is not brought to a grinding halt.

(iv) ALLEGED INEFFICIENT WORKING OF THE NATIONALISED BANKS.

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुख्य उद्देश्य पूरा होता उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी बैंक अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं चाहे वह ऋण वितरण का क्षेत्र अथवा बीस सूत्री कार्यक्रम के परिचालन का प्रश्न हो। उनका वही पुराना दृष्टिकोण चल रहा है। भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन होता है। उसके दो ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूँ।

(1) ऋण वितरण के क्षेत्र में जैसे बिहार राज्य में बैंकों की कुल जमा धन राशि 1840 करोड़ रु० है। उसमें लिक्विडिटी अनुपात के अनुसार 43 प्रतिशत छोड़ कर 1000 करोड़ का ऋण वितरण राज्य के विकास तथा 20

सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए होना चाहिए था परन्तु बड़े खेद का विषय है कि केवल 713 करोड़ रुपये की कुल धन-राशि वितरित हुई और 250 करोड़ रुपये का उसमें अंतर है।

(2) अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति के नियमों का सरासर उल्लंघन। यहां अपने प्रबन्धकों की पदोन्नति में हाल ही में अनियमितता बरती गयी है। इस संबंध में प्रभावित अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की हुयी है। सरकार से आग्रह है कि इन विषयों पर जांच कर वक्तव्य दे।

(v) DEMAND FOR SETTING UP IMMEDIATELY ONE OF THE TWO PROPOSED UNITS OF BHARAT ELECTRONICS, LTD. IN WEST BENGAL

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): Sir, the Chief Minister in his D.O. letter dated June 2, 1981 requested the Prime Minister for approval of the Central Government for location of one of the two proposed units of BEL in Salt Lake City in Calcutta.

MR. CHAIRMAN: You have not mentioned the Chief Minister. You have not stated which Chief Minister.

SHRI G. M. BANATWALLA (Pon-nani): For him, there is only one.

SHRI NIREN GHOSH: It is for the city of Calcutta. That means, the Chief Minister of West Bengal.

He further intimated the Prime Minister that about 100 acres of land in the Salt Lake City had been kept reserved for the proposed project.

Subsequently, the Chief Minister discussed this matter with the Prime Minister on 23rd July and followed it up with another D.O. letter dated August 3, 1981 addressed to the Prime Minister.

The Defence Ministry, it is understood, has initiated a note stating that West Bengal, being a border State, is not a safe

place for setting up the electronics complex under the Ministry of Defence. The Chief Minister in his letter dated August 3, 1981 to the Prime Minister stated that if the Defence Ministry's argument was accepted, no industrialisation worth the name would be possible not only in West Bengal but also in other States of the Eastern Region as in these days of sophisticated arms and ammunition, no place in India would be beyond the reach of the neighbouring countries in case of war with them.

I demand that one electronic unit of Bharat Electronics Ltd., be immediately set up in West Bengal.

(vi) NEED FOR ALLOWING RE-IMBURSEMENT OF FULL MEDICAL EXPENSES OF CLASS III AND CLASS IV EMPLOYEES OF ASOKA HOTEL AS IS BEING DONE IN THE CASE OF ITDC EMPLOYEES.

श्री रशोद मसूद (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान इस बे-इंसाफी की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो अशोका होटल के तीसरे और चौथे दर्जे के मुलाजमीन के साथ हो रही है। अशोका होटल, आई० टी० डी० सी० के लिए रुपया पैदा करने वाला सबसे बड़ा जरिया है, मगर अशोका होटल के मुलाजमीन को बीमारी और दवाइयों का सिर्फ 25 रुपया एक और एक्सरे का 12 रुपया एक वक्त में मिलता है, जबकि आई० टी० डी० सी० के मुलाजमीन को अपने इलाज का मुकम्मल खर्च मिलता है। सन् 1972 में अशोका-होटल के मुलाजमीन और मनेजमेंट में एक समझौते के तहत यह 25 रुपया और एक्सरे के 12 रुपये तय हुए थे, मगर इस बात को 10 साल गुजर गये और इस दरमियान में मंहगाई तीन और चार गुना बढ़ गई। और 25 रु० 1982 के हिसाब से 5 और 6 रुपये की कीमत के बराबर रह गए हैं। अशोका होटल के इन मुलाजमीन के साथ यह ज्यादाती है। मेरी हुकूमत के साथ दरखास्त है कि वह अशोका होटल के इन

मुलाजमीन को भी आई० टी० डी० सी० के मुलाजमीन की तरह इलाज का मुकम्मल खर्च दे ताकि यह बेइंसाफी खत्म हो।

[श्री रशोद मसूद (सहारनपुर) :

मैं सरकार का देहान अस बे अनصافی की طرف दलाना चाहता हूँ जो अशोका होटल के तीसरे और चौथे दर्जे के मुलाजमीन के साथ हो रही है - अशोका होटल आई - टी - डी - सी - के लिये रुपया पैदा करने वाला सभ से बड़ा फायदा है मगर अशोका होटल के मुलाजमीन को बीमारी और दवाइयों का सिर्फ पच्चीस रुपियाँ एक और एक्सरे का बारा रुपियाँ एक वक्त में मिलता है जब कि आई - टी - डी - सी - के मुलाजमीन को अपनो इलाज का मुकम्मल खर्च मिलता है - 1972 ई में अशोका होटल के मुलाजमीन और मनेजमेंट में एक समझौते के तहत यह 25 रुपया और एक्सरे के 12 रुपया एक वक्त में मिलता है, जबकि आई० टी० डी० सी० के मुलाजमीन को अपने इलाज का मुकम्मल खर्च मिलता है। सन् 1972 में अशोका-होटल के मुलाजमीन और मनेजमेंट में एक समझौते के तहत यह 25 रुपया और एक्सरे के 12 रुपये तय हुए थे, मगर इस बात को 10 साल गुजर गये और इस दरमियान में मंहगाई तीन और चार गुना बढ़ गई। और 25 रु० 1982 के हिसाब से 5 और 6 रुपये की कीमत के बराबर रह गए हैं। अशोका होटल के इन मुलाजमीन के साथ यह ज्यादाती है। मेरी हुकूमत के साथ दरखास्त है कि वह अशोका होटल के इन

खत्म हो सकें -]